

कार्यालय नगर परिषद टिमरनी जिला - हरदा (म.प्र.)

दूरभाष क्रमांक - 07573-230239

E-Mail ID - cmotimarni@mpurban.gov.in

क्र 323 लो.नि /2021

टिमरनी, दिनांक 19/07/2021

// प्रथम ई-निविदा आमंत्रण सूचना //

निम्न कार्य हेतु निविदा वेवसाईट www.mptenders.gov.in निम्नानुसार निर्माण कार्य हेतु दरें प्रतिशत आधार पर आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र वेवसाईट पर दिनांक 20.07.2021 से 24.08.2021 तक क्रय की जा सकती है। बीड समिट 24.08.2021 सायं समय 5.30 बजे तक वेवसाईट पर एवं निकाय वेवसाईट www.nptimarni.com पर देखी जा सकती है। निविदाओं में वित्तीय प्रस्ताव कार्य अनुबंध पर लागू जी.एस.टी. छोड़कर बुलाए जा रहे हैं। देयक प्रस्तुती के समय कार्य अनुबंध सेवायें पर लागू जी.एस.टी. का भुगतान पृथक से अनुबंधकर्ता को किया जायेगा।

क्र.	एन.आई.टी. नंबर	कार्य का नाम	मद	प्रभावशील एस.ओ.आर. का विवरण	अनुमानित राशि लगभग	अमानत राशि	निविदा फार्म मूल्य	कार्य अवधि
1	2	4	5	6	PAC-7	8	9	10
1		वार्ड क्रमांक 05 में पानी की टंकी के पास 07 नग दुकान निर्माण कार्य।	न.पा. निधि/अनुदान	म.प्र.न.प्र. एवं विकास विभाग, आई.एस.एस.आर. दिनांक 10.05.2012 से प्रभावशील	717378.00	7200	2000	4 माह वर्षा सहित

KEY-DATES AS BELOW

- (1) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि 20.07.2021 प्रातः 11.00 बजे से।
- (2) निविदा प्रपत्र क्रय एवं बिड प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24.08.2021 सायं 5.30 बजे तक।
- (3) निविदाकार द्वारा प्रस्तुत लिफाफा ए एवं बी खोलने की तिथि 27.08.2021 प्रातः 11 बजे से।

शर्तें :-

1. निविदा की वैधता खोले जाने की दिनांक से 120 दिन तक की होगी।
2. (अ) निविदा प्रपत्र क्रय करने से पूर्व ठेकेदार को उचित श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करना होगा। (ब) वर्तमान आयकर चुकता प्रमाण पत्र (स) नो रिलेशन शीप प्रमाण पत्र।
3. अमानत राशि ऑनलाईन भुगतान द्वारा/डेविड कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम जनरेटेड चालान के माध्यम से जमा कराना होगा।
4. कार्य में जी.एस.टी. नियमानुसार भुगतान किया जावेगा।
5. दरें 10% ISSR से कम प्राप्त होने पर अतिरिक्त परफारमेंस गारंटी जमा करनी होगी।
6. 7% सुरक्षा निधि प्रत्येक रनिंग देयक में से काटी जावेगी
7. ठेकेदार को दी गई समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के प्रकरण में ठेकेदार देयक से किये गये कार्य के मूल के 10% की कटौती की जायेगी।
8. 1% वाटर टेक्स अथवा वास्तविक जो भी अधिक हो, देयक में से काटा जावेगा यदि जल, नगरीय/शासकीय स्रोत से लिया गया है तो। अन्य शर्तें लोक निर्माण शाखा में कार्यालयीन समय में देखी जा सकती है।
9. डिफेक्ट लायवेल्टी पीरियड के संबंध में (लोक निर्माण विभाग म.प्र./नगरीय प्रशासन विभाग) शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
10. पृथक-पृथक देयकों के पूर्व रायल्टी प्रस्तुत करना होगी।
11. समय समय पर शासन प्रशासन द्वारा प्रसारित नियम शर्तें यथा संशोधन स्वीकार करनी होगी।
12. वित्तीय बिड नियमानुसार प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही खोली जावेगी।
13. किसी भी वाद विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र हरदा होगा।
14. निविदा स्वीकृत अस्वीकृत करने के समस्त अधिकार निकाय के पास सुरक्षित होगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद टिमरनी जिला हरदा